



आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

प्रथम तल उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email- md@idabihar.com Web- www.idabihar.com Fax/Phone: 0612-2675934, 2675933/2675935

का0आ0सं0- IDA/00/-199-20

07/16/Estt./IDA/07

कार्यालय-आदेश

कोरोना वायरस Covid-19 के फैलाव की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में कार्यालय के मुख्य द्वार पर Thermal Scanner द्वारा जाँच की व्यवस्था की गई है।

कार्यालय अवधि में Thermal Scanner द्वारा सभी पदाधिकारियों/कर्मियों एवं आगन्तुकों की जाँच करने हेतु निम्नांकित आदेशपालों को अगले आदेश तक निदेशित किया जाता है :-

- (i) श्री रमेश प्रसाद सिंह, आदेशपाल – सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार
 - (ii) श्री मुकेश कुमार, आदेशपाल – मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।

ह0/-

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक:- 979/Estt/07/16/Estt./IDA/07

दिनांक:- 19-05-2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी निदेशक (पी0आई0)/प्रभारी निदेशक (वित्त)/सभी कार्यपालक अभियन्ता/वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी/प्रोक्योरमेन्ट ऑफिसर-सह-हाउसकीपिंग/विधि पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबन्ध निदेशक कोषांग/स्थापना शाखा/लेखा शाखा/जन-सम्पर्क पदाधिकारी/कम्प्यूटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. श्री रमेश प्रसाद सिंह/श्री मुकेश कुमार, आदेशपाल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

18.5.20
निदेशक (प्रशासन)



आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

प्रथम तल उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email- md@idabihar.com Web- www.idabihar.com Fax/Phone: 0612-2675934, 2675933/2675935

का0आ0सं0- IDA/00/-198--/20

07/16/Estt./IDA/07

कार्यालय-आदेश

कोरोना वायरस Covid-19 के फैलाव की रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं0 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 17.05.2020 के आलोक में प्राधिकार कार्यालय में कार्यरत सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को निम्नांकित निर्देशों का पालन करना आवश्यक है :-

- (i) सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को चेहरे पर मास्क (Mask) लगाना अनिवार्य होगा।
- (ii) Social distancing (दो गज की दूरी) का प्रत्येक कर्मी को ध्यान रखना होगा।
- (iii) सभी पदाधिकारी/कर्मी कार्यालय के मुख्य द्वार पर लगे Thermal Scanner से जाँच के उपरान्त ही कार्यालय परिसर में प्रवेश करेंगे।
- (iv) प्राधिकार कार्यालय में किसी प्रकार का मादक द्रव्य, गुटका, पान इत्यादि का सेवन एवं यत्र-तत्र थूकना पुर्णतः प्रतिबंधित है एवं ऐसा करना दण्डनीय होगा।
- (v) सभी पदाधिकारी/कर्मी समय-समय पर Handwash अथवा Hand Sanitizer का प्रयोग करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।

ह0/-

निदेशक (प्रशासन)

दिनांक:- 19-05-2020

ज्ञापांक:- 978/Estt/07/16/Estt./IDA/07

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी निदेशक (पी0आई0)/प्रभारी निदेशक (वित्त)/सभी कार्यपालक अभियन्ता/वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी/प्रोक्योरमेन्ट ऑफिसर-सह-हाउसकीपिंग/विधि पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबन्ध निदेशक कोषांग/स्थापना शाखा/लेखा शाखा/जन-सम्पर्क पदाधिकारी/कम्प्यूटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)



आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

प्रथम तल उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

Email- md@idabihar.com Web- www.idabihar.com Fax/Phone: 0612-2675934, 2675933/2675935

का0आ0सं0- IDA/00/200/20

07/16/Estt./IDA/07

कार्यालय-आदेश

Covid-19 कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम हेतु भारत सरकार (गृह विभाग) की अद्यतन मार्गदर्शिका ज्ञापांक 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 17.05.2020 एवं बिहार सरकार (गृह विभाग) के आदेश सं0 317 दिनांक 18.05.2020 के आलोक में प्राधिकार में कार्यरत श्रेणी- C (Category-C) के अंतर्गत 33 प्रतिशत कर्मी प्रतिदिन कार्यालय आयेंगे। इस संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक 900 दिनांक 04.05.2020 एवं ज्ञापांक 807 दिनांक 19.03.2020 के द्वारा लागू रोस्टर प्रभावी रहेगा। यह व्यवस्था 31.05.2020 तक लागू रहेगा।

सभी पदाधिकारी/कर्मी द्वारा कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी उपरोक्त राष्ट्रीय मार्गदर्शिका का पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

5

ह0/-

ज्ञापांक:- 993/Estt. 07/16/Estt./IDA/07
प्रतिलिपि:-

निदेशक (प्रशासन)
दिनांक:- 19-05-2020

1. प्रभारी निदेशक (पी0आई0)/प्रभारी निदेशक (वित्त)/सभी कार्यपालक अभियन्ता/वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी/प्रोक्योरमेन्ट ऑफिसर-सह-हाउसकीपिंग/विधि पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबन्ध निदेशक कोषांग/स्थापना शाखा/लेखा शाखा/जन-सम्पर्क पदाधिकारी/कम्प्यूटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)